

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक—

विषय:— षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए कर्णांकित राज्य वित्त आयोग की प्रथम किस्त की राशि ₹3196.56114 लाख (इकतीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य के कार्यरत 19 नगर निगमों के बीच सहायक अनुदान के रूप में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति।

आदेश:— स्वीकृत।

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए राज्य वित्त आयोग की कर्णांकित प्रथम किस्त की राशि ₹3196.56114 लाख (इकतीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026—27 में निम्न तालिका के स्तम्भ—7 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :—

(राशि रुपये में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली कुल राशि
				31.04	31.05	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, पटना	PTCPLA021	00-8448-00-102-0001-00-01	3,96,14,722.00	3,96,14,722.00	7,92,29,444.00
2	नगर निगम, गया	GYAPLA014	00-8448-00-102-0001-00-01	1,12,76,673.00	1,12,76,673.00	2,25,53,346.00
3	नगर निगम, बिहारशरीफ	NLDPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	80,68,776.00	80,68,776.00	1,61,37,552.00
4	नगर निगम, भागलपुर	BGPPLA013	00-8448-00-102-0001-00-01	94,25,985.00	94,25,985.00	1,88,51,970.00
5	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	MUZPLA015	00-8448-00-102-0001-00-01	83,47,608.00	83,47,608.00	1,66,95,216.00
6	नगर निगम, दरभंगा	DBGPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01	69,49,922.00	69,49,922.00	1,38,99,844.00
7	नगर निगम, पूर्णियाँ	PRNPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01	71,94,044.00	71,94,044.00	1,43,88,088.00
8	नगर निगम, सासाराम	RTSPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	72,07,235.00	72,07,235.00	1,44,14,470.00
9	नगर निगम, आरा	BJRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	62,43,235.00	62,43,235.00	1,24,86,470.00

10	नगर निगम, समस्तीपुर	STRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01	69,42,554.00	69,42,554.00	1,38,85,108.00
11	नगर निगम, बेगूसराय	BGSPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	61,70,135.00	61,70,135.00	1,23,40,270.00
12	नगर निगम, मधुबनी	MDNPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	41,30,186.00	41,30,186.00	82,60,372.00
13	नगर निगम, बेतिया	WCHPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	57,76,456.00	57,76,456.00	1,15,52,912.00
14	नगर निगम, कटिहार	KTRPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01	57,28,775.00	57,28,775.00	1,14,57,550.00
15	नगर निगम, मोतिहारी	ECHPLA016	00-8448-00-102-0001-00-01	56,79,461.00	56,79,461.00	1,13,58,922.00
16	नगर निगम, मुंगेर	MGRPLA011	00-8448-00-102-0001-00-01	50,35,331.00	50,35,331.00	1,00,70,662.00
17	नगर निगम, छपरा	SRNPLA003	00-8448-00-102-0001-00-01	47,79,520.00	47,79,520.00	95,59,040.00
18	नगर निगम, सीतामढ़ी	SMRPLA009	00-8448-00-102-0001-00-01	57,45,115.00	57,45,115.00	1,14,90,230.00
19	नगर निगम, सहरसा	SAHPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01	55,12,324.00	55,12,324.00	1,10,24,648.00
योग				15,98,28,057.00	15,98,28,057.00	31,96,56,114.00

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹3196.56114 लाख (इकतीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत कुल राशि ₹3196.56114 लाख (इकतीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय-व्यय के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0013-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान-विपत्र कोड-48-2217801910013 अंतर्गत विषय शीर्ष-31.04 से ₹1598.28057 लाख (पन्द्रह करोड़ अठ्ठानवे लाख अठाईस हजार सतावन रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष-31.05 से ₹1598.28057 लाख (पन्द्रह करोड़ अठ्ठानवे लाख अठाईस हजार सतावन रु०) मात्र की निकासी की जाएगी।

4. स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2ब०/वि०आ०-25-04/2021-3201, दिनांक-02.11.2022 द्वारा निर्गत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सामान्य निधि की राशि का व्यय हेतु निम्न निदेश का अनुपालन किया जायेगा:-

- (i) नगर निकाय कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें भी जो मामले माननीय न्यायालय के न्यायादेश से अच्छादित हैं, उनको उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) यह भी कि उपरोक्त सेवांत लाभ संबंधी भुगतान पूरा हो जाने के बाद ही पी0एल0 खाता के सामान्य निधि से अन्य मदों में भुगतान के लिए विपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को कोषागार में इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
7. प्रस्ताव में वित्त एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note#-04 पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#-02 पर दिनांक-20.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT 144 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-24.08.26

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।